

स्वतंत्र और नृषिपक्ष चुनाव की पुनरुल्लपना

यह एडिटोरियल 06/12/2022 को 'हृदुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित "India is paving the way for truly accessible elections" लेख पर आधारित है। इसमें भारत में चुनाव और उनसे संबंधित चुनौतियों के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

भारतीय संवधान के संस्थापकों ने प्रतिनिधिक संसदीय लोकतंत्र की कल्पना भारत के लोकाचार, पृष्ठभूमि और आवश्यकताओं के लिये सबसे उपयुक्त राज्य व्यवस्था के रूप में की थी।

- उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी वयस्क नागरिकों की बिना किसी भेदभाव के समान भागीदारी की प्रकल्पना की थी। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise) के माध्यम से लोगों के प्रतिनिधियों का [चयन और स्वतंत्र एवं नृषिपक्ष चुनाव](#) (Free And Fair Elections) भारतीय गणतंत्र के लिये सबसे उपयुक्त प्रतीत होते हैं।
- भारत में चुनावों का आयोजन लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, विधान परिषद, स्थानीय निकाय, नगर नगिम, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत एवं प्रखंड पंचायत के सदस्यों के नृरिवाचन के साथ ही राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पद के नृरिवाचन के लिये कराया जाता है।
- लेकिन मौजूदा चुनाव प्रणाली कई चुनौतियों का सामना कर रही है जो इसकी 'स्वतंत्र एवं नृषिपक्ष' प्रकृतिके बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं। इसलिये यह जरूरी है कि इन मुद्दों की सावधानीपूर्वक जाँच की जाए और इन्हें समग्र रूप से संबोधित किया जाए।

भारत में चुनाव से संबंधित संवैधानिक प्रावधान

- संवधान के [अनुच्छेद 326](#) में प्रावधान है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर आयोजित होंगे।
- [अनुच्छेद 324](#) के अनुसार, नृरिवाचनों के लिये नृरिवाचक-नामावली (मतदाता सूची) तैयार कराने का और उन सभी नृरिवाचनों के संचालन का अधिकरण, नृदिशन और नृनितरण [नृरिवाचन आयोग में नृहिति होगा](#)।
- [अनुच्छेद 243K](#) और [243ZA](#) के तहत स्थानीय निकायों—पंचायतों और नगर निकायों के चुनाव की ज़मिमेदारी [राज्य चुनाव आयोगों](#) पर है।
- अनुच्छेद 328 राज्य के विधानमंडल को ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है।

नृरिवाचन आयोग की शक्तियाँ और ज़मिमेदारियाँ

- पूरे देश में नृरिवाचन क्षेत्रों की क्षेत्रीय सीमाओं का नृरिधारण।
- मतदाता सूची तैयार करना और समय-समय पर उन्हें संशोधित करना तथा सभी अरहत मतदाताओं को पंजीकृत करना।
- चुनावों के कार्यक्रम और तथियाँ को अधिसूचित करना तथा नामांकन पत्रों की जाँच करना।
- विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना तथा उन्हें चुनाव चहिन आवंटित करना।
- चुनाव के बाद संसद और राज्य विधानमंडलों के मौजूदा सदस्यों की अयोग्यता के मामले में आयोग के पास सलाहकारी क्षेत्राधिकार भी है।
- आवश्यकता पड़ने पर किसी भी नृरिवाचन क्षेत्र में उपचुनाव कराने के लिये भी यह ज़मिमेदार है।

भारत में स्वतंत्र एवं नृषिपक्ष चुनाव से जुड़ी प्रमुख चुनौतियाँ

- मतदाताओं के सूचना-संपन्न नृरिणयन को वकृत करना: अनृरितृति लोकलुभावनवाद के कारण [चुनाव अभियानों के दौरान 'अतारककि मुफ्त उपहारों'](#) (Irrational Freebies) की प्रेशकश की जाती है जो मतदाताओं को (वृशेष रूप से वंचित समूहों के मतदाताओं को) पक्षपाती बनाता है क्योंकि ऐसे मुफ्त उपहार उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपने प्रतिनिधियों को चुनने की सूचना-संपन्न नृरिणयन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं।
- [स्वतंत्र कर्मचारियों की कमी](#): चूँकि भारत नृरिवाचन आयोग (ECI) के पास स्वयं के कर्मचारी नहीं होते हैं, इसलिये जब भी चुनाव होते हैं तो इसे कर्मियों के लिये केंद्र और राज्य सरकारों पर नृरिभर रहना पड़ता है।
- परिणामस्वरूप, प्रशासनिक कर्मचारी ही सामान्य प्रशासन के साथ चुनावी प्रशासन के लिये भी ज़मिमेदार होते हैं, जो चुनावी प्रक्रिया को कम नृषिपक्ष और कुशल बनाता है।
- [आदर्श आचार संहिता \(MCC\)](#) को लागू करने के लिये कोई सांविधिक समर्थन नहीं: जहाँ तक आदर्श आचार संहिता (MCC) को लागू करने और

- **‘बूथ कैपचरिंग’:** मतदान केंद्र—जो मतदाताओं द्वारा अपने मतधिकार का प्रयोग करने हेतु नरिदष्टि स्थान होता है, चुनाव प्रक्रिया का अत्यंत महत्त्वपूर्ण अंग है।
 - राजनीतिक नैतिकता के मानकों में गतिवृद्ध के कारण ‘बूथ कैपचरिंग’ के कई दृष्टांत सामने आते रहे हैं जहाँ किसी पार्टी के वफादार या भाड़े के अपराधी मतदान केंद्र पर ‘कब्जा’ कर लेते हैं और वैध मतदाताओं के बदले स्वयं मतदान करते हैं ताकि किसी उम्मीदवार विशेष की जीत सुनिश्चित हो सके।
- **सोशल मीडिया का राजनीतिकरण:** सोशल मीडिया जनमत को दर्शाता है, जो लोकतंत्र की मुद्रा है। लेकिन सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि यह एक ‘इको चैंबर’ (echo chambers) का निर्माण करता है जहाँ लोग केवल उन्हीं दृष्टिकोणों को देखते हैं जिनसे वे सहमत होते हैं।
 - सोशल मीडिया पर चलने वाले राजनीतिक अभियान कभी-कभी देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक और सामाजिक तनाव पैदा कर देते हैं जो फिर निषेधक चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं।
- **दिव्यांगजनों के लिये बूथ की दुरगमता:** दिव्यांगजनों (PWD) की एक बड़ी संख्या को मतदान केंद्रों पर सहायक बुनियादी ढाँचे की कमी के कारण अपना मत डालने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (वर्ष 2017)

1. भारत का नरिवाचन आयोग पाँच सदस्यीय नकिया है ।
2. केंद्रीय गृह मंत्रालय आम चुनाव और उपचुनाव दोनों के संचालन के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है ।
3. चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वभिजन/वलिय से संबंधति वविादों का समाधान करता है ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (A) केवल 1 और 2
(B) केवल 2
(C) केवल 2 और 3
(D) केवल 3

उत्तर: (D)

????? ???????

प्रश्न. आदर्श आचार संहति के विकास के आलोक में भारत के नरिवाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये । (वर्ष 2022)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-editorials/09-12-2022/print>

